## धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में फटा बादल

## नैनीताल पंचायत चुनावः अपहरण से लेकर अदालत की फटकार तक, लोकतंत्र का अनोखा नाटक


# दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 14 | मूल्य 15 रुपये | 24-30 अगस्त, 2025

# जब समान 'गिरफ़्तारी कानून' तो विपक्ष को डर क्यों ?

# 6th DISTF 2025

# SCIENCE AND TECHNOLOGY

## Festival

## is coming alive again

## 12-14 November, 2025

**6th DEHRADUN INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY FESTIVAL 2025**

at

## Vigyan Dham

**Uttarakhand Council for Science & Technology**
**Jhajhra, Dehradun**

For more Information Visit us at: www.dehradunsciencefest.org

वर्ष 15 | अंक 14

दिव्य हिमगिरि

24-30 अगस्त, 2025

**संपादक**
कुँवर राज अस्थाना

**वरिष्ठ संवाददाता**
शंभूनाथ गौतम

**संवाददाता**
पूनम आर्या

**विज्ञापन**
सुनील सेमवाल

**ग्राफिक डिजायनर**
देव भट्ट

**संवाददाता**
**हरिद्वार:** डॉ. रजनीश गौतम
**पौडी:** रत्नमणि भट्ट
**कोटद्वार:** के.पी. बौंठियाल
**रूद्रपुर:** हेमचन्द्र बुडलाकोटी
**चमोली:** मुकेश रावत
**रुड़की:** श्रीगोपाल नारसन
**नैनीताल:** शीतल तिवारी
**अल्मोड़ा:** संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
**विकासनगर:** अजय शर्मा
**प्रसार:** रमेश सिंह रावत

**संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)**
**मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164**
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

# आजादी के विरूद्ध बयान

विचारों की अभिव्यक्ति में भी एक मर्यादा होती है। बात जब जनप्रतिनिधियों की हो तो संवेदनशीलता और भी गहरी हो जाती है। जनप्रतिनिधि समाज का नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनसे सुव्यवहार, शिष्टाचार और संयमित आचरण की उम्मीद की जाती है। उनके भाषणों को भी इन तत्त्वों के समावेश के नजरिए से देखा जाता है। भारतीय लोकतंत्र में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है, लेकिन जब सरकार में मंत्री पद पर आसीन जनप्रतिनिधि अपने वक्तव्य में देश की आजादी पर ही सवाल खड़े करे, तो उसे क्या कहा जाएगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि 15 अगस्त 1947 को देश को मिली आजादी 'कटी-फटी' थी। सवाल है कि लंबे संघर्षों और तमाम कुर्बानियों के बाद हासिल आजादी पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करके वे क्या दर्शाना चाहते हैं? एक जिम्मेदार पद पर बैठे किसी जनप्रतिनिधि को क्या ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? क्या भाजपा नेता आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले शहीदों को उपहास उड़ाना चाहते हैं? मर्यादा के विषय पर बड़े-बड़े भाषण देने वाले मंत्री ही अगर इस शब्द का सही अर्थ नहीं समझ पाएं, तो आम नागरिक से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह का यह कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी उनकी कई टिप्पणियों पर विवाद हो चुका है। दरअसल, विजयवर्गीय अखंड भारत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसे देश की आजादी से जोड़ा, उस पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। वैसे विवादित बयान देने वाले नेताओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। कुछ नेता अपनी टिप्पणियों पर विवाद बढ़ने के बाद खेद जाहिर करते हैं, तो कुछ यह कहकर इतिश्री कर लते हैं कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने विवादित और अमर्यादित बयानों की एक शृंखला शुरू कर रखी है, जो बदस्तूर जारी है। इससे पूर्व मगर, जनप्रतिनिधि, खासकर सरकार में मंत्री इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वे देश और राज्य की नीति निर्माण व्यवस्था का हिस्सा हैं। अगर उनका दृष्टिकोण इस तरह का होगा, तो जाहिर है कि व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। ऐसे में आमजन की भी यंह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपना प्रतिनिधि चुनने से पहले उन्हें हर कसौटी पर जरूर परख लें। भाजपा के कई नेता जिनमें प्रथम पंक्ति के नेता भी शामिल हैं, वह केवल अपने अमर्यादित बोल की वहज से ही जाने जाते हैं। हालांकि कई नाजुक क्षणों में तो भाजपा ने ऐसे नेताओं के बयानों से किनारा कर लिया लेकिन यह प्रवृत्ति अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। अपने अमर्यादित व्यवहार के चलते ही एनडीए सरकार में भारी भरकम मंत्रालय की मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी भाजपा के पटल से गायब हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सत्तासीन नेताओं के हौंसले बुलंद है। पार्टी उनको नकारे, इससे बेहतर है कि जनता ही ऐसे नेताओं को नकार दे।

**कुँवर राज अस्थाना**

# धराली के बाद अब चमोली जिले के थराली में फटा बादल

## एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं आईटीबीपी की टीम मौके पर, शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

चमोली जिले के थराली तहसील अंतर्गत सगवाड़ा गांव में बीती रात बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 23 अगस्त की रात लगभग 12:48 बजे हुई। अचानक आई मूसलधार बारिश और बादल फटने से गांव के आसपास भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से जन-धन की हानि की आशंका जताई जा रही है।

थराली में राहत और बचाव कार्यों के लिए गौचर से एनडीआरफ और आईटीबीपी, ग्वालदम से SSB रवाना हो गयी है।

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र चमोली से मिली सूचना के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अमला और राहत दलों को तत्काल भेजा गया है।

थराली तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम स्थिति का जायजा ले रही है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मलबे और पानी का बहाव इतना तेज था कि कई ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचा है।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपदा के मद्देनजर देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है और क्षति का आंकलन किया जा रहा है।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस विभाग, पर्यटन विभाग, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग समेत कुल 41 विभागों और एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं, स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस सम्बन्ध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है।

# थराली आपदा: सीएम धामी ने दु:ख जताया

**'राहत और बचाव कार्य शुरू'** मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के थराली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बादल फटने के कारण मलबे में दबने से एक युवती के निधन पर गहरा दु:ख प्रकट करते हुए एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना पर उनके सुरक्षित व सकुशल होने की कामना की है। इस बीच मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गई हैं।

बता दें कि थराली तहसील क्षेत्र के टूनरी गदेरे में शुक्रवार देर रात बादल फटने से थराली बाजार और आसपास के क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आने से एसडीएम आवास सहित कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानों में मलबा भर गया। कई वाहन भी मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य के लिए डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरफ की टीम आपदा क्षेत्र के लिए रवाना हो गई है। कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क को भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। जिसे सुचारू करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

**जनप्रतिनिधियों से भी सीएम धामी ने ली जानकारी**

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद के जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन पर वार्ता कर बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आपदा पर गहरा दु:ख जताते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया है। इसके साथ उन्होंने स्थानीय विधायक से वार्ता कर उनसे मौके पर रहकर राहत एवं बचाव कार्यो का भौतिक निरीक्षण करने की अपेक्षी की है।

# जब समान "गिरफ्तारी कानून" तो विपक्ष को डर क्यों?

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

**मानसून सत्र के दौरान गुरुवार, 21 अगस्त 2025 को संसद (लोकसभा) में ऐसा विधेयक पेश हुआ जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह विधेयक सदन में पेश किया, जिसके बाद विपक्ष में हंगामा मच गया। यह 'गिरफ्तारी कानून' साफ करता है कि अब भ्रष्टाचार या किसी आपराधिक मामले में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक तक भी गिरफ्तारी से नहीं बच पाएंगे। कांग्रेस, तृणमूल, सपा, और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस कानून का इस्तेमाल गैर-भाजपा नेताओं को टारगेट करने के लिए करेगी। मोदी सरकार इसे समान कानून, समान जवाबदेही की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब यह कानून सत्ता और विपक्ष दोनों पर बराबरी से लागू होगा, तो विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? क्या यह मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सियासी हथियार साबित होगा?**

बुधवार, 20 अगस्त 2025 को मानसून सत्र के दौरान लोकसभा का माहौल अचानक सियासी जंग के अखाड़े में बदल गया। जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने 'गिरफ्तारी कानून' पेश किया, विपक्षी सांसद सीटें छोड़कर वेल में कूद पड़े। जोरदार नारेबाजी के बीच हालात इतने बिगड़े कि कुछ सांसदों ने गृहमंत्री की ओर विधेयक की प्रतियां और कागज तक फेंक दिए। सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र की गरिमा पर हमला बताया, तो विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे दिया। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहता है, तो उसका पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। इसका मकसद यह है कि जेल से शासन चलाने जैसी स्थिति पर रोक लगे और जनता के भरोसे की रक्षा हो। विपक्षी दलों का कहना है कि यह

कानून 'चुनिंदा नेताओं को टारगेट करने' के लिए लाया गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दलों का आरोप है कि मोदी सरकार इस कानून के सहारे गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं पर शिकंजा कसना चाहती है। कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि गृहमंत्री अमित शाह खुद 2010 में गिरफ्तार हुए थे, तब क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह कानून लोकतंत्र की हत्या है और केंद्र सरकार का मकसद विपक्ष को डराना है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी।

भाजपा नेताओं ने विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्षी नेता ईमानदार हैं, तो डरने की क्या जरूरत? यह कानून सभी दलों और सभी नेताओं पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें पता है कि कई नेता जेल में हैं और कुछ जमानत पर बाहर हैं। हमने यहां तक देखा है कि जेल से फाइलों पर हस्ताक्षर किए गए, यह लोकतंत्र के साथ मज़ाक है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। लोकसभा में हंगामे के बीच यह विधेयक पास नहीं हो सका और इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है। राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होनी बाकी है। यानी कानून बनने से पहले इसके प्रावधानों पर विस्तृत समीक्षा और बहस होगी। सोशल मीडिया और समाज के अलग-अलग तबकों में इस कानून को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। एक ओर लोग इसे भ्रष्टाचार पर करारी चोट बता रहे हैं, वहीं विपक्षी समर्थक इसे लोकतंत्र पर हमला कह रहे हैं। दिल्ली के एक कारोबारी ने कहा कि अगर कानून सब पर समान है, तो डर कैसा? जबकि एक छात्र नेता का कहना था कि भाजपा इसका इस्तेमाल चुनावी हथियार की तरह करेगी। गिरफ्तारी कानून ने भारतीय राजनीति में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे अपने नेताओं पर लक्षित हमले के रूप में देख रहा है, जबकि मोदी सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में सबसे बड़ा कदम मान रही है। अब असली परीक्षा राज्यसभा और संयुक्त संसदीय समिति में होगी, जहां यह तय होगा कि यह विधेयक कानून का रूप कब और कैसे लेगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनावों में यह मुद्दा सबसे बड़ा सियासी एजेंडा बन चुका है।

## विपक्षी दलों का आरोप, मोदी सरकार गैर-भाजपा नेताओं को करेगी टारगेट

गिरफ्तारी कानून विधेयक का सबसे अहम प्रावधान यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या सांसद/विधायक गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसका उद्देश्य 'जेल से शासन चलाने' जैसी स्थिति पर रोक लगाना और जनता का भरोसा बनाए रखना है। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस कानून का इस्तेमाल गैर-भाजपा नेताओं को टारगेट करने के लिए करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि अगर विपक्षी नेता ईमानदार हैं, तो डरने की क्या जरूरत? यह कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेता जेल में हैं, कुछ जमानत पर बाहर हैं। हमने यहां तक देखा है कि जेल से फाइलों पर हस्ताक्षर होते हैं, यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्ढा ने इसे भ्रष्टाचार-मुक्त भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उल्लेखनीय है कि विपक्ष का असली डर इस कानून के तहत उन्हीं नेताओं के इर्द-गिर्द घूम रहा है, जिनका करियर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद वे कई महीनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग विपक्ष ने तेज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत पर वे कुछ समय के लिए बाहर आकर सरकार का कामकाज संभालते रहे। यह पहली बार है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को इस तरह पद पर रहते हुए जेल जाना पड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया को झकझोर दिया और भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बताया। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में दोषी, जेल की सजा काट चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में जेल गए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हो चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। समाजवादी पार्टी के आजम खान जमीन कब्जे व फर्जी दस्तावेज मामलों में कई बार जेल गए। यह कानून लागू हुआ तो ये सभी बड़े नाम सीधे इसके दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल, सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। एक ओर भाजपा समर्थक इसे भ्रष्टाचार पर करारी चोट बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे का कहना है कि यह लोकतंत्र पर हमला है। इतना तय है कि 'गिरफ्तारी कानून' आने वाले महीनों में देश की सबसे बड़ी सियासी बहस और चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है।

**गृहमंत्री अमित शाह ने एक साथ तीन अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए**

गुरुवार को मानसून सत्र के दौरान संसद का

माहौल उस वक्त गरमा गया जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक साथ तीन अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए। इनमें सबसे चर्चित संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 है, जिसे आम बोलचाल में 'गिरफ्तारी कानून' कहा जा रहा है। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान यह है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहता है, तो उसका पद स्वत: समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 भी पेश किए। तीनों विधेयकों को फिलहाल गहन अध्ययन और समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। विपक्षी दलों ने इस कानून को 'राजनीतिक हथियार' करार देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार इसका इस्तेमाल गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए करना चाहती है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि जब खुद अमित शाह 2010 में जेल गए थे, तब क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था? तृणमूल की महुआ मोइत्रा ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया, जबकि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है लेकिन जनता जवाब देगी। वहीं भाजपा ने विपक्षी आरोपों को सिरे से खारिज कर पलटवार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 'अगर विपक्षी नेता ईमानदार हैं तो डरने की क्या जरूरत? यह कानून सभी दलों और नेताओं पर समान रूप से लागू होगा।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा, 'देश ने देखा है कि कैसे कुछ नेता जेल में रहते हुए भी शासन चलाते रहे। अब यह लोकतंत्र के साथ मज़ाक और नहीं चलेगा।' भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे भ्रष्टाचार-मुक्त भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। तीनों विधेयकों पर अभी संसद में अंतिम निर्णय बाकी है। जेपीसी में समीक्षा और फिर राज्यसभा में बहस के बाद ही ये कानून का रूप ले पाएंगे। लेकिन देशभर में इन पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का कहना है कि यह कदम 'भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार' है और सत्ता-विपक्ष सभी पर बराबरी से लागू होगा। वहीं आलोचक इसे 'लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार' बताते हुए केंद्र पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। गिरफ्तारी कानून के साथ जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक भी चर्चा में हैं, लेकिन सबसे बड़ी सियासी बहस इसी बात पर है कि क्या यह ऐतिहासिक सुधार साबित होगा या विपक्ष पर केंद्र का सियासी हथियार।

# ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ डॉ. आशुतोष सयाना को निदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाया

आखिरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने ईमानदार, बेदाग और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी डॉ. आशुतोष सयाना को निदेशक चिकित्सा शिक्षा पद से हटा ही दिया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष डॉ. आशुतोष सयाना को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद से हटाया गया था। तब डॉ. आशुतोष सयाना के पास निदेशक चिकित्सा शिक्षा तथा प्रायार्य राजकीय दून मेडिकल कॉलेज दोनों का चार्ज था। सूत्रों के अनुसार उस वक्त डॉ. आशुतोष सयाना ने भारी दबाव के कारण राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद से इस्तीफा दिया था। आज ठीक एक साल बाद उनको निदेशक चिकित्सा शिक्षा के पदभार से भी मुक्त कर दिया गया।

गौरतलब है कि डॉ. आशुतोष सयाना की गिनती ईमानदार, बेदाग और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में की जाती है। 2012-13 में राज्य सरकार ने दून मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना देखा था। दून मेडिकल कॉलेज में कई प्राचार्य आए और चले गए लेकिन दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सपना एक सपना ही बना रहा। 2019 में सरकार की नजर में डॉ. आशुतोष सयाना आए। डॉ. सयाना राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में लगभग साढ़े पांच साल प्रायार्य रहे। मात्र साढ़े पांच साल के कम समय में डॉ. सयाना ने दून मेडिकल कॉलेज को न केवल संचालित किया अपितु दून अस्पताल को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया। उनके कार्यकाल में ही एमबीबीएस और एमडी की कक्षाएं प्रारंभ हुई। कोविड कार्यकाल में दून मेडिकल कॉलेज न केवल देहरादून बल्कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र की लाइफ लाइन साबित हुआ। उनके कार्यकाल में दून मेडिकल कॉलेज ने उच्च शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। उनके सीमित कार्यकाल में नई ओपीडी बिल्डिंग, ओटी-इमरजेंसी बिल्डिंग, कैथलैब, बर्न यूनिट, प्राइवेट वार्ड, नई एमआरआई, नई डायलिलिस यूनिट, नए हॉस्टल, 575 बेड का नया गाइनो वार्ड, 750 सीट वाला ऑडिटोरियम बना। डॉ. सयाना की क्षमताओं को भांप कर राज्य सरकार ने अल्मोड़ा, और हरिद्वार में भी मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। यह मेडिकल कॉलेज भी जल्द शुरू हो सकें इसके लिए सरकार ने डॉ. आशुतोष की कार्यक्षमताओं का लाभ लेने के लिए उन्हें दून राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पद के साथ निदेशक चिकित्सा शिक्षा का दायित्व भी दिया। डॉ. सयाना ने अपने कार्यकाल में न केवल दून मेडिकल कॉलेज का सफल संचालन कराया बल्कि अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी राजकीय मेडिकल कॉलेजों का सफल संचालन शुरू कराया। उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा पूरे विभाग में एक दृष्टांत बन गई। डॉ. आशुतोष सयाना की कीर्ति और सम्मान उनके विभाग तक ही नहीं सीमित रहा। समाज में भी उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है।

# नैनीताल पंचायत चुनाव: अपहरण से लेकर अदालत की फटकार तक, लोकतंत्र का अनोखा नाटक

**शीतल तिवारी**

नैनीताल की सरोवरनगरी इस बार अपने सौंदर्य से नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव के ऐसे तमाशे से चर्चा में है जिसकी पटकथा किसी 'एक्शन थ्रिलर' से कम नहीं लगती। 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान जो कुछ सामने आया, उसने यह भ्रम तोड़ दिया कि लोकतंत्र का सबसे स्थानीय पायदान सबसे सुरक्षित होता है। पक्की सड़क पर फ़िसलन तब बढ़ी जब 'रेनकोट गैंग' नाम से चर्चित एक समूह कैमरों में कैद हुआ- पाँच जिला पंचायत सदस्यों को घसीटता, गाड़ियों में ठूँसता और फिर शहर की गलियों में गायब होता हुआ। अगले ही कार्यदिवस वे पाँचों सदस्य हाईकोर्ट में पेश हुए, मगर अदालत ने उनसे नहीं, प्रशासन और पुलिस से पूछताछ का रुख़ अपनाया। न्यायालय का पहला सवाल ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धड़कन पर था- मतदान केंद्र से महज़ 200 मीटर की दूरी पर हथियारबंद लोग कैसे पहुँचे, और पुलिस की उपस्थिति के बावजूद उन्हें किस आश्वासन ने इतना दुस्साहसी बना दिया?

उधर, जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बताया कि 15 अगस्त की भोर, ठीक तीन बजे, मतगणना नियमों के मुताबिक़ कराई गई और मतपत्र ट्रेज़री में सुरक्षित रख दिए गए। अदालत ने यह सुनकर डीएम से भी शपथपत्र माँग लिया। यहाँ से असल उलझन शुरू होती है- अगर सब कुछ नियमों से हुआ, तो पाँच सदस्यों को 'उठाने' की ज़रूरत क्यों पड़ी? और लोकतंत्र की गाड़ी आधी रात को ही क्यों दौड़ाई गई? नतीजा फिलहाल 'रिज़र्व' रखकर सीलबंद लिफाफ़े में न्यायालय की चौखट पर पहुँचा दिया गया- कुछ वैसे ही जैसे पुरानी हिंदी फ़िल्मों में खलनायक की महफ़िल में कव्वाल बनकर पहुँचते हीरो-हीरोइन को दर्शक तो पहचान लेते हैं, पर खलनायक देर तक अनजान बना रहता है।

इसी बीच, 14 अगस्त को ही नैनीताल ज़िले के बेतालघाट ब्लॉक में चुनाव से पहले अचानक फायरिंग की घटना हुई। एक ग्रामीण के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। लोकतंत्र के पर्व पर बारूद की गंध फैल चुकी थी। शहर अचरज में था और अदालत का परिसर किलेबंदी में- निषेधाज्ञा, पुलिस बल, बैरिकेड- मानो न्यायालय के बाहर युद्ध की तैयारी हो। इसी पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए एसएसपी से गिरफ्तारी आश्वासन लिया और विस्तृत शपथपत्र तलब किए। और यहीं अदालत की वह ऐतिहासिक टिप्पणी दर्ज हुई जिसने पूरे विवाद को नैनीताल की सीमाओं से उठाकर प्रदेश की नसों तक पहुँचा दिया- जब नैनीताल जैसे शहर में, जहाँ स्वयं हाईकोर्ट स्थित है, इस तरह की घटना हो सकती है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा? सच तो यह है कि कोर्ट सहित आम जनता का अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है- नैनीताल शहर, जहाँ हाईकोर्ट है, वहाँ हाईकोर्ट होने के बावजूद जब इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो अन्य शहरों में क्या हाल होगा?

19 अगस्त को नाटक का सबसे अहम दृश्य सामने आया। विवादों में घिरे नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में 27 में से केवल 22 सदस्य ही मतदान कर पाए। पाँच सदस्यों के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में पुलिस नाकाम रही और शाम पाँच बजे चुनाव रोक दिया गया। देर शाम मतगणना हुई और परिणाम को सुरक्षित रख लिया गया। इसके बाद मंगलवार को जिला कोषागार में घोषित नतीजों ने तस्वीर साफ़ कर दी- भाजपा प्रत्याशी दीपा दरमवाल को 11 मत मिले, कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को 10 मतों से संतोष करना पड़ा, जबकि एक मत रद्द कर दिया गया। उपाध्यक्ष पद पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी देवकी बिष्ट को बराबर मत मिले और निर्णय टॉस से हुआ। किस्मत ने कांग्रेस की देवकी बिष्ट का साथ दिया और वे उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहीं।

काउंटिंग टेबल की बत्तियाँ अभी बुझी भी नहीं थीं कि नया आरोप उभर आया- गिनती

के दौरान कैमरा बंद कर एक निर्णायक वोट पर ओवरराइटिंग की गई। 'बस वही एक वोट' अब पूरे परिणाम पर भारी पड़ रहा है। अदालत में याचिका दाख़िल हुई- उस वोट की फॉरेंसिक जाँच हो, और जब तक सच सामने न आए, निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ से रोका जाए। प्रारंभिक सुनवाई में अदालत ने चुनाव आयोग के पथ की ओर इशारा किया, पर मामला अदालत की नज़रों से ओझल नहीं हुआ- अगली तारीख़ लग गई और शहर की धड़कन उस घड़ी की टिक-टिक के साथ चलने लगी। इधर प्रशासन कहता रहा कि प्रक्रिया पारदर्शी थी। उधर जनता पूछती रही, 'अगर सब पारदर्शी था, तो कैमरा क्यों बंद हुआ?'

सोशल मीडिया इस पूरे घटनाक्रम का समानांतर न्यायालय बन चुका था। एक लोकप्रिय पोस्ट ने व्यंग्य में लिखा- 'जैसे लोग सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, वैसे घूमने जाने के लिए बाउंसर लगाए गए थे!' लोगों ने वह वीडियो बार-बार देखा जिसमें रेनकोट पहने लोग सदस्यों को घसीटकर गाड़ियों में डालते दिखे। फिर उन सदस्यों का दूसरा वीडियो भी, जिसमें वे कहते हैं कि वे 'अपनी मर्ज़ी से' घूमने गए थे। जनता ने निष्कर्ष अपने ढंग से निकाला- अगर यह 'मर्ज़ी' है, तो मजबूरी किसे कहते हैं? किसी ने सीधा-सा गणित बताया- 27 में से 22 सदस्यों ने मतदान किया, पाँच को 'घुमाने' वाले उनके संरक्षक थे या लोकतंत्र के ठेकेदार? किसी और ने तंज़ कसा- 'साफ़-सुथरा चुनाव डीएम की जिम्मेदारी नहीं, क़ानून-व्यवस्था एसएसपी की नहीं, गलतियाँ सुधारना कोर्ट की नहीं, और मनपसंद उम्मीदवार चुनना जनता की नहीं!' यह पंक्ति जितनी कठोर है, उतनी ही सच की तरह चुभती भी है।

हाईकोर्ट में पेश हुए अफ़सरों पर भी उँगलियाँ उठीं। लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों ने सवाल पूछा कि कोर्ट में दिए गए बयानों और मैदान में दिखी तस्वीरों का मेल क्यों नहीं बैठ रहा। अदालत ने तीखे सवाल किए- अगर शपथपत्र पहले से हैं, तो स्टाम्प की ख़रीद की तारीख़ उसी दिन की क्यों दिखती है? ईमेल से मिले शपथपत्रों के आईपी एड्रेस का पता क्यों नहीं लगाया गया? अपहृत बताये गए सदस्यों के परिजनों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लिया? अपहरण की वीडियो फुटेज देखकर भी क्या कार्रवाई नहीं बनती? और जब नाम-पते तक बताए जा रहे हैं, तो गिरफ्तारी में अड़चन क्या है? इन सवालों का भार किसी एक अधिकारी पर नहीं, बल्कि पूरे तंत्र पर है- क्योंकि लोकतंत्र में प्रक्रिया ही परिणाम की साख है।

19 अगस्त को राजनीतिक-प्रशासनिक मोर्चे पर कुछ निर्णायक कदम दिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनाओं पर सख़्त रुख़ दिखाते हुए कुमाऊँ मंडल आयुक्त से 15 दिन में विस्तृत जाँच रिपोर्ट माँगी, भवाली के पुलिस क्षेत्राधिकारी और तल्लीताल के थानाध्यक्ष का ज़िला बदला और पूरे प्रकरण को CBCID के हवाले किया। संदेश साफ़ था- क़ानून-व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। पर जनता का सवाल और गहरा हो गया- अगर यह सख़्ती पहले होती तो 14 अगस्त का दिन इस कदर क्यों बिगड़ता? भरोसा, एक बार टूट जाए तो शासन को दुगुना परिश्रम करके उसे जोड़ना पड़ता है।

इसी कड़ी में 22 अगस्त को पुलिस ने बताया कि जिन लोगों ने शहर की शांति भंग की और सरकारी कार्य में बाधा डाली, उनकी पहचान कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। वीडियो खंगाले जा रहे हैं, कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, और इसे 'उदाहरण' के तौर पर पेश करने की बात हो रही है। अदालत ने समानांतर मोर्चे पर डीजीपी दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगौली से प्रदेश में बढ़ते 'गन कल्चर', निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा और पूरे प्रकरण में पुलिस-प्रशासन की भूमिका पर जवाब तलब किया। यह सिर्फ़ नैनीताल का नहीं, उत्तराखंड की क़ानून-व्यवस्था और चुनावी नैतिकता का बड़ा सवाल बन चुका है।

दूसरी तरफ़ काउंटिंग की रात का 'एक वोट' कहानी का मुख्य किरदार बना हुआ है। सीलबंद लिफ़ाफ़ा, रात तीन बजे की गिनती, बंद कैमरा और ओवरराइटिंग के आरोप- यह सब मिलकर उस विश्वास पर खरोंच छोड़ रहे हैं जो चुनावी प्रक्रिया का आधार है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हार-जीत के फ़ैसले को जनता निष्पक्ष मानकर स्वीकार कर ले। पर जब प्रक्रिया पर ही धुँधलका छाने लगे, तो लोकतंत्र की जीत भी संशय में बदल जाती है। यह बात किसी एक पक्ष के पक्ष या विपक्ष में नहीं जाती। यह हम सबके भविष्य के पक्ष में जाती है।

जनता ने अपना निर्णायक क्षण पहले ही दे दिया था- वोट डालकर। उसके बाद जो कुछ हुआ, वह जनता की इच्छा का शुद्ध अनुवाद बनना चाहिए था, न कि अति-उत्साही किरदारों का ऐक्शन सीक्वेंस। अदालत ने जो कहा, वह इतिहास की दीवार पर दर्ज करने लायक़ है- नैनीताल में हाईकोर्ट होने के बावजूद जब ऐसा हो सकता है, तो दूर-दराज़ के इलाक़ों में क्या होगा? यही सवाल अब हर देहात, हर बाज़ार, हर चाय की दुकान पर सुना जा सकता है। कोई कहता है, 'अब चुनाव देखने जाएँ तो पॉपकॉर्न साथ ले जाइए,' कोई कहता है, 'यहाँ वोटिंग कम, स्क्रिप्टिंग ज़्यादा है।' व्यंग्य के पीछे डर और अविश्वास छिपा है- डर इस बात का कि कहीं लोकतंत्र का अपहरण न हो जाए। अविश्वास इस बात का कि अगर कैमरे के रहते-रहते भी कैमरे 'बंद' किए जा सकते हैं, तो फिर निगरानी किसके लिए?

इस सारी उथल-पुथल के बीच एक ऐतिहासिक अवसर भी छिपा है। अगर व्यवस्था चाहे, तो यहीं से सुधार की शुरुआत हो सकती है- काउंटिंग की 24x7 लाइव रिकॉर्डिंग और अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, हर मतपत्र की डिजिटल इमेजिंग और चेन-ऑफ़-कस्टडी का सार्वजनिक लॉग, सदस्य-वोटरों की सुरक्षा के लिए कोर्ट-निर्देशित सेफ़हाउस और एस्कॉर्ट, 'किडनैपिंग/प्रिवेंशन ऑफ़ वोट-कोएर्शन' के स्पष्ट प्रोटोकॉल, और चुनावी हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की वास्तविक मिसाल। सबसे बढ़कर, जो अधिकारी कर्तव्य विमुख दिखें, उन पर समयबद्ध और दिखने वाली कार्रवाई- क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही ही असली अनुशासन है।

पर अभी कहानी इस मोड़ पर है जहाँ अदालत की घड़ी, पुलिस की जाँच और जनता की नज़रें एक साथ टिक-टिक कर रही हैं। 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच फैले इस नाटक ने साफ़ कर दिया कि चुनाव सिर्फ़ जनता की नहीं, प्रशासन की भी परीक्षा हैं। और इस बार सबसे कठिन पेपर 'भरोसे' का है। नतीजा चाहे जिसकी झोली में गिरे, यह ज़रूरी है कि वह नतीजा जनता की आँखों में सीधे-सीधे देखा जा सके- बिना किसी रेनकोट, बिना किसी बंद कैमरे और बिना किसी सीलबंद रहस्य के।

देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड में राजनीति का यह 'एक्शन थ्रिलर' जितनी जल्दी अपने अंतिम दृश्य तक पहुँचे, उतना बेहतर है। क्योंकि लोकतंत्र का असली क्लाइमेक्स तालियों से नहीं, भरोसे से लिखता है। और भरोसा तब बनता है जब जनता को वोट के बदले तमाशा नहीं, पारदर्शिता मिलती है- जब न्यायालय की कड़ी टिप्पणियाँ प्रशासन के लिए फ़ौरी आदेश बनती हैं- और जब 'एक वोट का नाटक' अंततः एक वोट की गरिमा में बदल जाता है।

# गैरसैंण में बड़े इरादे धरे रह गए, सत्र कुछ ही घंटों में खत्म, सत्तापक्ष-विपक्ष भिड़े

**गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस समेत सभी दलों ने जनता के सामने बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र महज कुछ घंटों की कार्यवाही के बाद ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, सुमित हृदयेश समेत कई विपक्षी सदस्यों ने बेरोजगारी, महंगाई और गैरसैंण के विकास को लेकर सदन में जोरदार विरोध किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धामी सरकार गैरसैंण में सत्र चलाना ही नहीं चाहती, इसलिए चार दिन का तय कार्यक्रम महज़ घंटों में समेट दिया गया। विपक्ष के हमलों पर भाजपा विधायक भी विरोध में उतर आए और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सत्र को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आवश्यक 9 विधेयक और अनुपूरक बजट पास कर जनता के हित सुरक्षित किए। वहीं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर नहीं है और जनता को खोखले वादों से गुमराह कर रही है। सत्ता और विपक्ष की इस तकरार के बीच यह चर्चा भी गर्म रही कि भाजपा और विपक्ष के कई विधायक तो खुद यही सोच रहे थे कि सत्र जल्दी खत्म हो ताकि वे हेलीकॉप्टर से देहरादून लौट सकें। नतीजा यह हुआ कि गैरसैंण का यह सत्र इतिहास का सबसे छोटा सत्र बन गया। शंभू नाथ गौतम।**

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र महज दो दिन भी नहीं चल पाया और 20 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तय कार्यक्रम के अनुसार सत्र चार दिन चलना था, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और लगातार हंगामे ने इसे इतिहास का सबसे छोटा सत्र बना दिया। दूसरे दिन की कार्यवाही पहले दिन की तरह ही हंगामेदार रही। कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी, महंगाई, गैरसैंण में सुविधाओं की कमी और सरकार की कथित उदासीनता को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि धामी सरकार गैरसैंण में गंभीरता से सत्र चलाना ही नहीं चाहती और जनता के सामने केवल खोखले दावे करती है। वहीं, आश्चर्यजनक रूप से भाजपा विधायक भी सदन में विरोध जताते नज़र आए। इससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हालांकि इस राजनीतिक घमासान के बीच सरकार ने तेजी दिखाते हुए 9 विधेयक और 5,315.89 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित करवा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर सत्र को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विधेयक पारित करवाए हैं। उन्होंने विपक्ष पर केवल राजनीति करने और गैरसैंण की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि धामी सरकार गैरसैंण में सत्र चलाना ही नहीं चाहती। जनता से राजधानी को लेकर जो वादे किए गए थे, उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि चार दिन का सत्र महज़ कुछ घंटों में निपटा देना यह दर्शाता है कि सरकार गैरसैंण को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि सरकार केवल फोटो खिंचवाने और दिखावा करने के लिए गैरसैंण आती है, जबकि यहां के विकास और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। सत्र को लेकर कांग्रेस से भाजपा तक सभी बड़े-बड़े इरादों के साथ गैरसैंण पहुंचे थे, लेकिन हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप के बीच विधायक खुद भी यही सोचते नजर आए कि सत्र जल्दी खत्म हो और वे हेलीकॉप्टर से सीधे देहरादून लौट जाएं। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि धामी सरकार गैरसैंण को लेकर कभी गंभीर नहीं रही। राजधानी का सपना दिखाकर जनता को छलने का काम किया जा रहा है। सत्र को छोटा करना इस बात का सबूत है। लगातार आरोप-प्रत्यारोप और शोर-शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इस तरह गैरसैंण का मानसून सत्र महज कुछ घंटों की कार्यवाही के बाद समाप्त हो गया और प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गैरसैंण को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने दिखाई दिए। यहां सत्र कराना हमेशा राजनीतिक बहस का मुद्दा रहा। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सरकारें सिर्फ दिखावे के लिए गैरसैंण में सत्र करती हैं, जबकि ढांचागत सुविधाएँ अब भी अधूरी हैं। वहीं, भाजपा सरकार ने 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। सत्रों के दौरान सुरक्षा इंतजामों के साथ-साथ स्थानीय जनता की भागीदारी भी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है।

### गैरसैंण सत्र में हंगामे के बीच धामी सरकार ने पास किए अनुपूरक बजट और 9 विधेयक

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष और सत्ता पक्ष के आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया। इसके बावजूद धामी सरकार ने बेहद कम समय की

कार्यवाही में 5,315.89 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट और 9 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा लिए। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,315.89 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन से पास कराया। इसमें राज्य की विकास योजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यों, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक जरूरतों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। सत्र में हंगामे के बीच सरकार ने निम्नलिखित 9 विधेयक पारित करवाए।

1. उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2025 (पूरक बजट से संबंधित)।
2. उत्तराखंड जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र के नए कर प्रावधानों के अनुरूप राज्य जीएसटी कानून में संशोधन।
3. उत्तराखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2025, पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए।
4. उत्तराखंड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2025, शहरी निकायों में पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए।
5. उत्तराखंड सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक 2025, सहकारी समितियों के कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए।
6. उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025, उच्च शिक्षा संस्थानों में नई नीतियों को लागू करने हेतु।
7. उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2025, तकनीकी संस्थानों में आधुनिक कोर्स और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा।
8. उत्तराखंड विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025, बिजली आपूर्ति और उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से।
9. उत्तराखंड भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक 2025, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विवाद निस्तारण को सरल बनाने के लिए। सत्र के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि धामी सरकार गैरसैंण में गंभीरता से सत्र चलाना नहीं चाहती और केवल औपचारिकता निभा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने कम समय में भी जनता के हित में बजट और आवश्यक विधेयक पारित कर यह सुनिश्चित किया है कि विकास कार्य प्रभावित न हों।

## गैरसैंण सत्र के बीच सीएम धामी का अलग अंदाज, मॉर्निंग वॉक में जनता से की सीधी मुलाकात

गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान जहां सदन के भीतर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने दिखे, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनता से जुड़ने का अलग अंदाज भी चर्चा में रहा। सत्र के पहले और दूसरे दिन सुबह-सुबह सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और हल्के-फुल्के अंदाज में उनसे बातचीत भी की। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री अचानक एक चाय की दुकान पर जा पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ लोगों के साथ बैठकर चाय पी बल्कि खुद चाय बनाने में भी हाथ आज़माया। यह नजारा देख स्थानीय लोग उत्साहित हो उठे और कई ने तस्वीरें व वीडियो भी बनाए। मुख्यमंत्री ने चायवाले से भी हालचाल जाना और कहा कि सरकार आम जनता के सुख-दुख में हमेशा साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, धामी ने विधानसभा परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने उनके कामकाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को भी गंभीरता से सुनेगी। सत्र के बाहर जनता से इस तरह का जुड़ाव धामी की सादगी और मिलनसार स्वभाव को सामने लाया। हालांकि दूसरी ओर सदन के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच जारी हंगामे और आरोप-प्रत्यारोप ने सत्र को महज कुछ घंटों तक सीमित कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री का यह अनौपचारिक अंदाज़ गैरसैंण सत्र की हलचल के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। उल्लेखनीय है कि गैरसैंण को लेकर लगातार राजनीति होती रही है। मार्च 2022 में यहां बजट सत्र आयोजित हुआ था। मार्च 2023 में बजट सत्र फिर गैरसैंण में हुआ, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अगस्त 2024 में तीन दिवसीय मानसून सत्र (21-23 अगस्त) गैरसैंण में हुआ। उस सत्र में सरकार ने कई अध्यादेश लाए, जिनमें सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर जुर्माना, नगर निकाय संशोधन और पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां देने जैसे प्रावधान शामिल थे। उस दौरान गैरसैंण को छावनी में बदल दिया गया था। अगस्त 2025 में चार दिन का तय कार्यक्रम था, लेकिन विपक्ष-सत्तापक्ष की तकरार के चलते सत्र दूसरे दिन 20 अगस्त को ही स्थगित करना पड़ा।

# उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण की जंग, राधाकृष्णन-सुदर्शन आमने-सामने

**देश की सियासत में उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार खासा दिलचस्प हो गया है। मैदान में एक ओर एनडीए प्रत्याशी राधाकृष्णन हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन को उतारा है। दोनों नेता दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ संसद भवन तक सीमित नहीं बल्कि दक्षिण की राजनीति और समीकरणों पर भी बड़ा असर डाल सकता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यह सीधा टकराव सत्ता संतुलन की अगली बड़ी तस्वीर तय करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सिर्फ संसद भवन के ऊपरी सदन की औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीतिक रणनीति और मनोबल पर गहरा असर डालेगा। अगर एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो यह भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक विजय होगा। दिव्य हिमगिरि की रिपोर्ट।**

सियासत के सबसे बड़े दंगलों में से एक उपराष्ट्रपति चुनाव ने अब जोर पकड़ लिया है। मैदान में दक्षिण भारत से आने वाले दो दिग्गज आमने-सामने हैं। एक ओर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी। राधाकृष्णन ने 20 अगस्त को नामांकन दाखिल किया। उनका नामांकन चार सेटों में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रस्तावक रहे। नामांकन के दौरान भाजपा और एनडीए के करीब 160 सांसद मौजूद थे। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने 21 अगस्त को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत जैसे विपक्ष के बड़े नेता उनके साथ रहे। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही यह साफ हो गया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ संसद का मामला नहीं बल्कि दक्षिण की सियासत और राष्ट्रीय समीकरणों को भी नई दिशा देने वाला है। उल्लेखनीय है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। धनखड़ का इस्तीफा खास इसलिए भी माना गया क्योंकि वे कार्यकाल पूरा करने से पहले पद छोड़ने वाले देश के केवल तीसरे उपराष्ट्रपति बने। उनसे पहले वी.वी. गिरी और आर. वेंकटरमण ने भी कार्यकाल बीच में ही त्यागपत्र दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने संभाला। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर यह जिम्मेदारी स्वतः ही उपसभापति के पास चली जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त 2025 को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। यही कारण है कि चुनाव अपेक्षाकृत पहले कराना पड़ा और अब यह मुकाबला एनडीए के सी.पी. राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच दक्षिण भारत की अहम सियासी पृष्ठभूमि में हो रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी पर सीधा हमला बोला। शाह ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी ने 2011 में सल्वा जुडुम को खत्म करने वाला फैसला सुनाया था, जिससे नक्सलवाद को ताकत मिली और देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। शाह ने आरोप लगाया कि अगर यह फैसला न होता तो 2020 तक नक्सलवाद देश से समाप्त हो गया होता। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस और वामपंथी दबाव में आकर ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना रहे हैं, जिनका फैसला नक्सली हिंसा को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ। अमित शाह के इस बयान से उपराष्ट्रपति चुनाव का सियासी पारा और चढ़ गया है, जहां मुकाबला अब सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दों से भी सीधे जुड़ गया है।

**उपराष्ट्रपति का चुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अहमः** उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम सिर्फ संसद भवन के ऊपरी सदन की औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीतिक रणनीति और मनोबल पर गहरा असर डालेगा। अगर एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीत हासिल करते हैं तो यह भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक विजय होगा। लोकसभा में पहले से मजबूत बहुमत के बाद राज्यसभा की कमान पर भी नियंत्रण पाने की उनकी रणनीति और धारदार हो जाएगी। इससे सरकार के विधायी एजेंडे को और सुगमता मिलेगी तथा विपक्ष की ताकत कमजोर दिखने लगेगी। साथ ही दक्षिण भारत से उम्मीदवार उतारना भाजपा की दक्षिण में पैठ बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना को और मजबूती देगा। वहीं, यदि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत दर्ज करता है, तो यह विपक्षी खेमे के लिए जबरदस्त राजनीतिक ऑक्सीजन का काम करेगा। लोकसभा चुनावों में लगातार हार झेल रहे विपक्ष के लिए यह न केवल नैतिक विजय होगी, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि संयुक्त मोर्चा सरकार को हराने में सक्षम है। इससे गठबंधन की एकजुटता पर जनता का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले राज्यों के चुनावों में विपक्षी दल नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे। दरअसल, उपराष्ट्रपति चुनाव सीधे तौर पर सत्ता की कुर्सी को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसकी राजनीतिक ध्वनि बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसलिए चाहे जीत एनडीए की हो या इंडिया गठबंधन की। यह परिणाम आने वाले महीनों में संसद की राजनीति की दिशा और दोनों खेमों के हौसले तय करेगा।

# 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन जुए के जाल से 'आजादी'

**मोदी सरकार ने देश में तेजी से फैलते ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सख्त कानून लागू कर दिया है। सरकार का यह फैसला सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि 45 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने वाला है, जो अब तक जुए और ऑनलाइन सट्टे के जाल में फंसे हुए थे। इस कानून के लागू होने के बाद देशभर में परिवारों को बर्बादी से बचाने की उम्मीद जगी है और लाखों लोग सम्मान के साथ समाज में नई शुरुआत कर पाएंगे। बुधवार, 20 अगस्त 2025 का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाकर बड़ा फैसला किया है। बुधवार को लोकसभा में यह बिल पास हो गया। गुरुवार को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। कानून बनते ही पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से भी कोई ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा जो लोगों को पैसे की जालसाजी में फंसाता हो। दिव्य हिमगिरि की विशेष रिपोर्ट।**

देश में लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी की लत ने करोड़ों परिवारों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। मोबाइल फोन पर घंटों गेम खेलते-खेलते जहां युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा था, वहीं पैसे लगाने की होड़ में न जाने कितने घर तबाह हो गए। कई परिवारों की जमा-पूंजी ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स में बर्बाद हो गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई और समाज में इज्जत तक दांव पर लग गई। बुधवार, 20 अगस्त 2025 का दिन ऐतिहासिक रहा। क्योंकि महज कुछ ही मिनटों में देश के 45 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाला यह बिल पारित हो गया। ऐसे हालात में केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाकर बड़ा फैसला किया है। बुधवार को लोकसभा में यह बिल पास हो गया। गुरुवार को यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। कानून बनते ही पैसे से जुड़ी सभी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से भी कोई ऐसा ऐप डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा जो लोगों को पैसे की जालसाजी में फंसाता हो। सरकार का यह कदम उन 45 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों के लिए राहत की सांस लेकर आया है, जो कहीं न कहीं इस लत की गिरफ्त में आ चुके थे। अब परिवारों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी, किसी मां-बाप को यह डर नहीं रहेगा कि बेटा मोबाइल गेम में पूरा अकाउंट खाली कर देगा। मोदी सरकार का यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि समाज को भी नई दिशा देगा। जो लोग अब तक ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारण शर्म और हताशा में जी रहे थे, वे सम्मान के साथ समाज में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। सच मायनों में यह कानून सिर्फ एक प्रतिबंध नहीं, बल्कि परिवारों की खुशहाली और समाज की इज्जत बचाने का संकल्प है। देर से सही, लेकिन अब देश उस राह पर बढ़ चला है जहां ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर किसी का घर बर्बाद नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ अरॅनलाइन गेमिंग बिल 2025' लोकसभा में पेश किया और बिना किसी बहस के यह महज सात मिनट में आवाज मत से पारित भी हो गया। वैष्णव ने सदन में साफ कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग अब नशे से भी बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसने न सिर्फ 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को जकड़ लिया है बल्कि परिवारों की जमा पूंजी और समाज का सम्मान भी दांव पर लगा दिया है। बिल के पारित होते ही देश में पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर प्रतिबंध का रास्ता साफ हो गया है, जिससे करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी। बुधवार दोपहर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग अब नशे से भी बड़ा खतरा बन चुका है। इस लत के कारण 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं दर्ज हुई। कई परिवारों की जीवनभर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई और समाज में तनाव, मानसिक बीमारी और अपराध बढ़े। कुछ प्लेटफ़ॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस कानून में प्रावधान है कि ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वालों पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 से 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे ऐप्स को भुगतान

सेवा देने वाले बैंक या कंपनियां भी दंड के दायरे में आएंगी।

**केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग को तीन हिस्सों में बांटा**

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का मकसद समाज की सुरक्षा करते हुए वैध ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जब समाज और सरकारी राजस्व के बीच चुनने की बात आती है, तो प्रधानमंत्री हमेशा समाज को प्राथमिकता देते हैं और समाज के हितों से कभी समझौता नहीं किया गया है। यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ।

वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग को तीन हिस्सों में बांटा। पहला ई-स्पोर्ट्स, जिसमें रणनीतिक सोच, टीम वर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। दूसरा ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे सॉलिटेयर, शतरंज और सुडोकू, जिन्हें शिक्षाप्रद और मनोरंजक माना गया। तीसरा हिस्सा ऑनलाइन मनी गेम्स है, जो समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। केंद्रीय ई-मनी गेम्स मंत्री ने कहा कि कई परिवार इनसे बर्बाद हो गए और आत्महत्या तक के मामले सामने आए हैं। इन खेलों से नशे की लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि आतंकवाद को भी बढ़ावा मिला है। हालांकि विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वाले लोगों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रमोटरों और वित्तीय सहयोगियों पर कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या संचालन करने पर 3 साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन से जुड़े उल्लंघन पर 2 साल तक की कैद और/या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दोबारा अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सभी प्रमुख अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार अधिकृत अधिकारियों को जांच, तलाशी और जब्ती के अधिकार देगी। संदिग्ध मामलों में अधिकारी बिना वारंट प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कानून से ई-स्पोर्ट्स को वैध पहचान और बढ़ावा मिलेगा, जबकि समाज को ऑनलाइन जुए और मनी गेम्स से होने वाले गंभीर नुकसान से बचाया जा सकेगा।

# मेरे गांव के आदित्य ने कौन बनेगा करोड़पति में करोड़पति बनकर दिखाया!

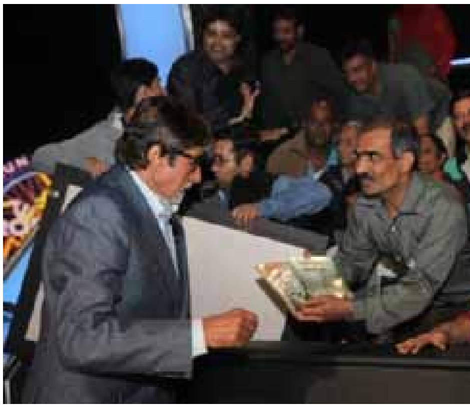

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

बात सन 2012 की है मुंम्बई फिल्मसिटी के मैनेजर व मेरे घनिष्ठ मित्र ओमवीर सिंह मेरे रुड़की स्तिथ घर पर आए और मुझे कौन बनेगा करोड़पति शो में बतौर अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मेरे द्वारा मना करने पर भी वे नही माने, जिसपर मैंने उनके दो दिन के शो में से एक दिन के शो में सपरिवार उपस्थित होने की सहमति दे दी। नियत समय पर जब हम पहुंचे तो पहले ओमवीर सिंह ने फिल्मसिटी गोरेगांव परिसर में मौजूद अपने सरकारी आवास में हमे नाश्ता कराया और फिर कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर लंच कराया। उस शो की शूटिंग 5 घण्टे में पूरी हुई और मुझे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से बतियाने व उन्हें अपनी पुस्तकें भेंट करने का अवसर भी मिला,जिसमे उनके पिता हरिवंशराय बच्चन के साहित्यिक योगदान की चर्चा भी शामिल रही। मेरी इस मुलाकात के बाद जब मेरे गांव के मास्टर धीरेंद्र जी के सुपुत्र एवं मेरे से कुछ वर्ष बड़े मुनेश कुमार जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे है, के होनहार पुत्र आदित्य ने जब कौन बनेगा करोड़पति के 17 वें सीज़न में करोड़पति बनने का गौरव हासिल किया तो मुझे लगा जैसे मेरी अगली पीढ़ी ने मुझे सौगातों से नवाज़ दिया हो। आदित्य कुमार ने एक हजार के सवाल से लेकर 25 लाख तक के सवालों के जवाब निष्कंटक दिए और 50 लाख के सवाल पर लाइफलाइन का इस्तेमाल किया व एक करोड़ के सवाल का सही जवाब देकर उन्होंने करोड़पति बनने का लक्ष्य हासिल किया। लेकिन 7 करोड़ के सवाल पर वे भृमित हो गए तथा समझदारी दिखाते हुए खेल छोड़ दिया। आदित्य सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत है, लेकिन वह एमएसजी कमांडो बनना चाहते हैं। उत्तराखंड के गांव नारसन कलां के आदित्य कुमार अपने परिवार से पहले व्यक्ति हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी कर रहे हैं। उनके पिता मुनेश कुमार का फोर्स में जाने का सपना पूरा नही हो पाया था, वह 18 बार सेना के सर्विस सेलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन आदित्य कुमार ने पहले प्रयास में ही संघ लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा पास कर ली और सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट बन गए। वह वर्तमान में यूटीपीएस ओकाई थर्मल पॉवर प्लांट गुजरात में कार्यरत हैं। उनके अंडर में 200 सीआईएसएफ जवानों की यूनिट काम करती है।

***(लेखक की 22 पुस्तकें है, वे वरिष्ठ साहित्यकार व आध्यात्मिक चिंतक है)***

# धराली फ्लैश फ्लड -टाइमलाइन में एक और आपदा

## दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर एवं स्पेक्स द्वारा संयुक्त रूप से व्याख्यान का आयोजन

दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर (डीएलआरसी) एवं स्पेक्स के संयुक्त तत्वावधान में दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर के सभागार में प्रातः 11 बजे से ''धाराली फ्लैश फ्लड-टाइमलाइन में एक और आपदा'' विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान ''दि देहरादून डायलॉग (टीडीडी) सीरीज़'' के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो कि विज्ञान, समाज, नीतियों एवं विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद स्थापित करने का एक नया प्रयास है। इन संवादों के निष्कर्ष राज्य की विकास योजना बनाने वाले विभागों एवं नीति-निर्माताओं तक पहुँचाए जाएंगे, ताकि योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

कार्यक्रम का शुभारंभ दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर (डीएलआरसी) के श्री चन्द्रशेखर तिवारी के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने डॉ. दिनेश सती को इस महत्त्वपूर्ण और सामयिक विषय पर तकनीकी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया। इसके पश्चात् दि देहरादून डायलॉग (टीडीडी) की ओर से श्री हरि राज सिंह ने डॉ. सती का परिचय दिया। डॉ. सती को फील्ड जियोलॉजी (क्षेत्रीय भूविज्ञान) में 43 वर्षों का अनुभव है। वे वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जीओलॉजी रिसर्च सेंटर (डीएलआरसी), सागर विश्वविद्यालय, केडीएमपीआरआई-ओएनजीसी तथा सीपीआराई नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े रहे हैं। संरचना एवं टेक्टोनिक्स, भू-स्खलन, हाइड्रोजियोलॉजी तथा इंजीनियरिंग जियोलॉजी में उनका गहन अनुभव है। उन्होंने नेपाल और भूटान सहित पूरे हिमालय में विस्तृत फील्ड अध्ययन किया है। उनकी प्रतिबद्धता को उनकी यह पंक्ति भली-भाँति व्यक्त करती है।

***''ए फील्ड जियोलॉजिस्ट टुडे इज़ ए फील्ड जियोलॉजिस्ट फॉरएवर।''***

डॉ. सती ने अपने व्याख्यान में कहा कि धाराली फ्लैश-फ्लड में निर्दोष जीवन की क्षति और भारी संपत्ति के नुकसान पर हम सभी शोक व्यक्त करते हैं, परंतु यह आपदा अप्रत्याशित नहीं थी। लगभग हर वर्ष मानसून के समय हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार की आपदाएँ होती हैं।

उन्होंने उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से भूमि-आकृतियों की अस्थिरता को मापने और विभिन्न वर्षा-आधारित आँकड़ों से हैज़र्ड मॉडलिंग करने की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने धाराली क्षेत्र की पिछली आपदाओं का टाइमलाइन प्रस्तुत किया जिसमें 1835, 1978, 2010, 2012, 2013, 2015 तथा 2018 की बाढ़/क्लाउडबर्स्ट की घटनाओं का विवरण दिया।

डॉ. सती ने स्पष्ट किया कि खीर गंगा बेसिन की भौगोलिक व भौतिक संरचना इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देती है। प्राथमिक स्तर पर उपग्रह डेटा से ही अस्थिर सामग्रियों की पहचान की जा सकती है।

उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि असुरक्षित क्षेत्रों में भवन निर्माण व होटल व्यवसाय बिना किसी रोक-टोक के चलते रहे। आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई संस्थाएँ जैसे यूएसडीएमए एवं यू-सेक को अग्रिम चेतावनी देने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी, किंतु प्रायः वे केवल आपदा घटित होने के बाद ही दिखाई देती हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राहत एवं पुनर्वास के साथ-साथ अब रोकथाम एवं पूर्व-योजना पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।

**आगे का मार्गः**

- धाराली जैसी आपदाएँ अप्रत्याशित नहीं हैं, इनकी पूर्व पहचान एवं तैयारी संभव है।
- सीमित संसाधनों के कारण जनसंख्या दबाव से लोग संवेदनशील क्षेत्रों में बस रहे हैं।
- ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण जोखिम और बढ़ गए हैं।
- हिमालयी बेसिन की अस्थिर भूमि-आकृतियों को उपग्रह आंकड़ों से पहचाना जा सकता है।
- वर्षा आँकड़ों के आधार पर मॉडलिंग कर, विकास कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

कार्यक्रम में डॉ. वाई. पी. सिंह एवं डॉ. बृज मोहन शर्मा ने डॉ. सती का सम्मान किया और उनके वैज्ञानिक विश्लेषण की सराहना की। व्याख्यान में सनराइज अकादमी, उत्तरांचल विश्वविद्यालय, डीबीएस कॉलेज के विद्यार्थियों सहित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, संयुक्त नागरिक संगठन, सिविल डिफेंस आदि संस्थानों के शोधार्थियों ने भाग लिया। कुल 123 प्रतिभागियों ने इस संवादात्मक सत्र में सहभागिता की।

इस अवसर पर नागरिक समाज के कई सदस्य उपस्थित रहे जिनमें प्रमुख रूप से- बलेंदु जोशी, विभा पुरी दास, आर. के. मुखर्जी, जयराज, सुशील त्यागी, रानू बिष्ट, राजीव ओबेरॉय, डॉ. डी.पी. डोभाल, डॉ. दीपक भट्ट, कुसुम रावत, अतुल शर्मा, देवेंद्र बुडाकोटी, कर्नल अमित अग्रवाल, डॉ. अनिल जागी, भूमेंश भारती, नीरज उनियाल, चन्द्र स्वामी आदि सम्मिलित रहे।

# राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, के पूर्व सलाहकार सरदार गुरदीप सिंह सहोता ने मुख्यमंत्री को आभार जताया

भारत सरकार, के पूर्व सलाहकार सदस्य एवं उत्तराखंड सिक्ख कोआर्डिनेशन समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह सहोता ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 विधान सभा में पारित करवा कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का पुरजोर स्वागत किया है।

इस प्राधिकरण की स्थापना से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा तो मिलेगा ही साथ ही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।

श्री सहोता ने राज्य के मा. मुख्यमंत्री जिनके पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का प्रभार भी है, का आभार व्यक्त करते हुए यह आग्रह भी किया कि इस विधेयक के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त विद्यालयों को आर.टी.ई. में छूट होने के प्रावधान को भी समाप्त किया जाए, ताकि जिस धर्म का अल्पसंख्यक संस्थान हो कम से कम वह अपने धर्म के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को आर.टी.ई. के प्रावधानों के तहत शिक्षा देना सुनिश्चित करें क्योंकि पूर्व में अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र का दुरुपयोग आर.टी.ई. से बचने के लिए हथियार के रूप में होता रहा है।

श्री सहोता ने बताया की उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जहां अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा ही अल्पसंख्यक का दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पूर्व में अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, को आवेदन देने और बड़ी जद्दोजहत के बाद ये प्रमाण पत्र हासिल होता था।

मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराईयों से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मुझे यकीन है कि सारे अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा, विशेषकर प्रदेश के समस्त सिक्ख समाज द्वारा इसका स्वागत होगा।

# मियावाकी वृक्षारोपण की दूसरी वर्षगांठ

देहरादून स्थित पर्यावरण संरक्षण एवं जन-जागरूकता से जुड़े संगठन एसडीसी फाउंडेशन द्वारा वसंत विहार, देहरादून क्षेत्र में मियावाकी वृक्षारोपण की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग, समाजसेवी, स्थानीय निवासी एवं स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मियावाकी वृक्षारोपण पहल वन विभाग के अनुसंधान प्रभाग, वसंत विहार सोसाइटी, एसजीआई फाउंडेशन और एसडीसी फाउंडेशन का संयुक्त प्रयास है।

कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा करते हुए एसडीसी फाउंडेशन के प्यारे लाल ने बताया कि दो वर्ष पूर्व इस मियावाकी वृक्षारोपण पहल के अंतर्गत 10 प्रजातियों के कुल 350 पौधे लगाए गए थे, जिनमें पीला अमलतास, टेकोमा, नीम, सहजन, आंवला, भिमाल, कचनार, पुत्रजीवा, पारिजात और अवन्सग्रास शामिल हैं। सतत निगरानी और देखरेख के चलते इन पौधों की 90 प्रतिशत से अधिक जीवित रहने की दर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यह छोटा सा प्रयास आज क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने में योगदान दे रहा है। साथ ही उन्होंने मियावाकी विधि की वैज्ञानिक प्रक्रिया और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित वृक्षारोपण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

वसंत विहार सोसाइटी के अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा ने कहा कि इस पहल की सबसे बड़ी ताकत स्थानीय निवासियों की भागीदारी है। जब समाज एकजुट होता है, तभी हरित परिवर्तन संभव होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सोसाइटी भविष्य में भी एसडीसी फाउंडेशन और उसके सहयोगी संगठनों के इस महत्वपूर्ण प्रयास में पूर्ण सहयोग करती रहेगी।

वसंत विहार क्षेत्र के पार्षद अंकित अग्रवाल ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मियावाकी विधि की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि नगर निगम की बैठकों में इस पहल के विस्तार के प्रयास किए जाएंगे।

अंबावती दून वैली इंटर कॉलेज के शिक्षक जयदीप दर्शन

बेलवाल ने कहा कि प्रकृति से जुड़ने का यह प्रयास विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत और व्यावहारिक अनुभव है। यदि हर मोहल्ला और कॉलोनी इस प्रकार के प्रयास करे तो पूरा शहर हरा-भरा और जीवंत बन सकता है।

कार्यक्रम में कैप्टन एम.पी.एस. रावत, सुरेन्द्र बर्थवाल, राकेश कपूर, सुशील नौटियाल, रवि जुयाल, उषा डंगवाल, अन्नपूर्णा नौटियाल, विनोद नौटियाल, एसजीआई फाउंडेशन की प्रेरणा रतूड़ी, तथा भवानी बालिका इंटर कॉलेज और अंबावती दून वैली इंटर कॉलेज के शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एसडीसी फाउंडेशन के दिनेश सेमवाल ने किया।

कार्यक्रम के समापन पर एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, बच्चों एवं स्थानीय निवासियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह वृक्षारोपण अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और हरित भविष्य की प्रतिज्ञा भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान जनभागीदारी के साथ आगे भी जारी रहेगा। कार्यक्रम का विशेष फोकस सामुदायिक सहभागिता और जनजागरूकता पर रहा, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ें और पर्यावरण संरक्षण की इस सामूहिक यात्रा को गति दें।

# आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में मसूरी, देहरादून के 22 स्कूलों किया प्रतिभाग

## शिक्षांकुर स्कूल को प्रथम एवं दून इंटरनेशनल स्कूल को द्वितीय पुरस्कार मिला

श्रीराम सेंटेनियल स्कूल, देहरादून में दिनांक 18 अगस्त 2025 को बहुप्रतिष्ठित आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतर विद्यालय वाद-विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देहरादून एवं मसूरी के वाइनबर्ग एलन, हिमज्योति स्कूल, राजा राम मोहन रॉय अकेडमी, शिक्षांकुर स्कूल, एशियन स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, माउंट लिट्रा ज़ी स्कूल, बिरला ओपन माइंड स्कूल, हेरिटेज स्कूल, ओएसिस स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस, वेल्हम बॉयज स्कूल, सेंट थॉमस कॉलेज, जीडी गोयनका स्कूल, टोंस ब्रिज स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड, सेपियन्स स्कूल विकासनगर, माँ आनंदमयी स्कूल रायवाला जैसे लगभग 22 प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर प्रतियोगिता के विषय 'आधुनिक समाज में शिष्टाचार व्यक्ति की प्रगति में बाधक है।' पक्ष व विपक्ष में अपनी वक्तृत्व कला, तार्किक क्षमता और विचारों की स्पष्टता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया जिसमें सामाजिक व्यवहार, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और नैतिक मूल्यों पर गहन चर्चा हुई।

प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड शासन में राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष एवं डीएवी पीजी कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य डॉ. देवेंद्र भसीन जी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने छात्रों को विचारों की स्वतंत्रता और संवाद की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल के सदस्यों में दिव्य हिमगिरि के संपादक कुँवर राज अस्थाना, एस.पी.एम. बी.एड. महाविद्याल श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड की प्राचार्य डॉ. पूनम थपलियाल तथा उत्तराखंड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून के स्कूल ऑफ बिजनेस के एसोसिएट प्राफेसर एवं प्लेसमेंट प्रभारी,डॉ. राजेश त्रिपाठी जी ने निर्णायकों की भूमिका निभाई।

प्रतियोगिता में शिक्षांकुर स्कूल स्कूल ने प्रथम तो वहीं दून इंटरनेशनल स्कूल सिटी कैंपस ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ट वक्ता पक्ष के लिए सेंट पैट्रिक स्कूल के राघव को तो विपक्ष के लिए शिक्षांकुर स्कूल के स्तुतुय पटवाल को सर्वश्रेष्ट वक्ता चुना गया।

इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक श्रीमान गौरव गर्ग ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों में आत्मविश्वास, विश्लेषण क्षमता और सार्वजनिक संवाद कौशल को विकसित करती हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

# जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

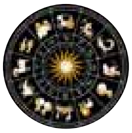
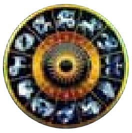

**पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)**
**(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)**

**मेष राशि**- ग्रह स्थिति अनुकूल बन रही है। पिछले कुछ समय से चल रही कड़ी मेहनत के अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। आपको अपनी छवि और बेहतर बनाने का मौका भी मिलेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने में किसी प्रिय मित्र का विशेष सहयोग रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा।

**वृषभ राशि**- परिवार और काम के बीच तालमेल बना रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अपने किसी नजदीकी संबंधी के मुश्किल समय में काम आना आपको आत्मिक खुशी देगा। आज आपका कोई अहम काम भी शुरू हो सकता है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आय से ज्यादा खर्चो की रहेगी।

**मिथुन राशि**- कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी और काम का बोझ भी ज्यादा रहेगा, इसलिए आराम और मौज-मस्ती पर ध्यान न देकर काम पर अपना ध्यान लगाएं। क्योंकि जल्दी ही इसके आपको अच्छे फल मिलेंगे। कोई फायदेमंद नजदीकी यात्रा भी संभव है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे को समझेंगे।

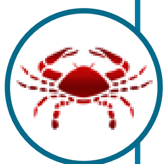

**कर्क राशि**- कुछ खास काम से जुड़ी बनाई हुई योजनाएं लागू होने की संभावना है। अगर प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का प्लान बन रहा है, तो इस योजना को पूरा करने के लिए समय अच्छा है। आपका काम और मेहनत आपको हर काम में सफलता और उपलब्धि देगा। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें।

**सिंह राशि**- बहुत अच्छी ग्रह स्थिति बनी हुई है। इसका पूरा फायदा उठाएं। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम बन जाने से घर में सुकून और खुशी भरा माहौल रहेगा। आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपको घर और समाज में सम्मान देगा। वाहन या किसी अन्य रखरखाव से जुड़ा कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा। युवा वर्ग बेकार की बातों में समय बर्बाद न करें।

**कन्या राशि**- ज्यादा समय घर की देखभाल और सजावट से जुड़े कामों में परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शॉपिंग में बीतेगा। प्रोफेशनल पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में युवाओं को किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। गुस्से और जल्दबाजी की वजह से कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं।

**तुला राशि**- समाज सेवा से जुड़े कामों और जरूरतमंदों की देखभाल में कुछ समय बीतेगा। इससे समाज में आपकी खास पहचान भी बनी है। इससे संबंधित काम के लिए आपको मान-सम्मान मिलेगा। समय सकारात्मक बदलाव ला रहा है, इसका बेहतरीन उपयोग करें। ज्यादा दिखावे जैसे स्वभाव से दूर रहें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, थकान हावी हो सकते हैं।

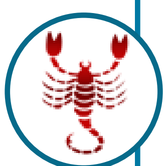

**वृश्चिक राशि**- रोजमर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों खुश रहेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का सही सहयोग मिलेगा। कोई सपना भी सच होगा। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर बिताएं, क्योंकि उनकी गतिविधियों और संगति पर कड़ी नजर रखना जरूरी है।

**धनु राशि**- अपनी कुशलता से किसी भी समस्या पर काबू पा लेंगे। कुछ समय आत्म-निरीक्षण और आत्म-मनन में जरूर लगाएं। आपके विरोधी आपके सामने हार जाएंगे। मान-सम्मान बना रहेगा। कोई दुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय अकेले या आध्यात्मिक स्थल पर जरूर बिताएं।

**मकर राशि**- किसी खास लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास चल रहा है, तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। सुख-सुविधा से जुड़ा सामान खरीदने में भी समय बीतेगा। आपका सहज स्वभाव समाज में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा और अपने संबंधों में मजबूती महसूस होगी। आपसी तालमेल में कमी की वजह से संबंधों के बीच कुछ तनाव बन सकता है।

**कुंभ राशि**- पिछले कुछ समय से जिस काम को लेकर मेहनत कर रहे थे, उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ही हल्का-फुल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे। युवाओं को किसी प्रयास में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से और अहम पर काबू रखें।

**मीन राशि**- कोई रुका हुआ सरकारी मामला हल हो सकता है। अनुभवी और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति से मुलाकात आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। घर में मांगलिक कार्य के आयोजन से जुड़ी योजना भी बनेगी। कई मामलों में धीरज और धैर्य रखना जरूरी है। वरना गुस्सा और लापरवाही से समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी।

# 18 साल बाद सैफ अली खान के साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय के साथ सैफ अली खान एक लंबे वक्त बाद नजर आएंगे।

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अब अक्षय ने अपनी नई फिल्म 'हैवान 'की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में अक्षय अभिनेता सैफ अली खान के साथ नजर आएंगे। अब अक्षय ने शूटिंग के पहले दिन का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम पर 'हैवान' की शूटिंग के पहले दिन का वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी दी है कि उन्होंने प्रियदर्शन की इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। वीडियो में अक्षय के साथ निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेता सैफ अली खान भी नजर आ रहे हैं। तीनों किसी बात पर चर्चा करते और हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान तीनों के बीच यह चर्चा हो रही है कि वो कितने वक्त बाद साथ लौट रहे हैं। यह वीडियो फिल्म की शूटिंग शुरू होने के मुहूर्त शॉट से पहले का मालूम पड़ता है। अक्षय हाथ में फिल्म के नाम की स्लेट लिए हुए हैं। जबकि सैफ और प्रियदर्शन साथ में खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा है, 'हम सब ही हैं थोड़े से शैतान। कोई ऊपर से संत, कोई अंदर से हैवान। अपने सबसे पसंदीदा निर्देशक प्रियदर्शन के 'हैवान' की शूटिंग आज से शुरू की। लगभग 18 साल बाद सैफ के साथ काम करने पर काफी उत्साहित और खुश हूं। चलो हैवानियत को शुरू करते हैं।' अक्षय का ये वीडियो सामने आते ही अब चर्चा का विषय बना हुआ है। घोषणा के बाद से ही 'हैवान' चर्चा में बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है अक्षय और सैफ अली खान का इतने लंबे वक्त के बाद एक साथ आना। अक्षय और सैफ ने साथ में कई फिल्में की हैं। इनमें 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिल्लगी', 'तू चोर मैं सिपाही', 'कीमत' और 'टशन' जैसी फिल्में शामिल हैं। दोनों आखिरी बार साल 2008 में आई फिल्म 'टशन' में नजर आए थे। अब दोनों एक बार फिर एकसाथ नजर आएंगे।

'जॉली एलएलबी 3' को लेकर चर्चा में हैं अक्षय, वर्कफ्रंट की बात करें तो 'हैवान' के अलावा अक्षय जल्द ही 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आएंगे। ये 19 सितंबर को ही रिलीज होने वाली है। इसके अलावा अक्षय की पाइपलाइन में 'भूल बंगला' और 'हेरा फेरी 3' भी शामिल हैं। इन दोनों ही फिल्मों को भी प्रियदर्शन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। सैफ अली खान आखिरी बार नेटफ्लिक्स की फिल्म 'ज्वेल थीफ' में नजर आए थे।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

# Divyamol Venture

## Nettle Hair Oil

प्राकृतिक बालों की खूबसूरती का राज–
"बिच्छू बूटी तेल"

**Benefits**
- Nourish and rejuvenate scalp.
- Improve blood circulation of scalp.
- Enhance the natural shine and texture of hair.
- Stimulate hair growth and health.
- Combat hair loss and breakages.
- Keep hair hydrated and healthy.
- Reduce dandruff.

## Organic Nettle Tea

**Benefits**
- Boost immune system
- Relief in joint pain
- Promote healthy digestion
- Purify blood and flushes out toxins
- Improve skin, Hair and Bone health
- Protect heart and relief inflammation
- Relieves menstrual cramps.

## Nettle Pain Oil

**Benefits**
- Reduce Joint Pain
- Anti Rheumatic
- Stimulate the blood flow

मांसपेशियों के दर्द का उपचार–
"बिच्छू बूटी तेल"

fssai 22624030001042

UDYOG AADHAR MSME UK05D0011104

**Contact Us:**
146-A Sailok-1, GMS Road
Dehradun 248001, Uttarakhand, India
**E-mail**: divyamol.venture@gmail.com
**Customer Care:** +91 7017387260
**Website:** www.divyamol.co.in